बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू–अर्जन निदेशालय
अधिसूचना

दिनांक– 27-08-13

सं0 सं0 ....15/डी0एल0ए0, (गंडक पुल)– प0 चम्पारण– 69/13 – 2081/रा०

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–धनहा, परगना– मझौआ, थाना–बगहा (धनहा), जिला प0 चम्पारण में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात– धनहा घाट से रतवल घाट के बीच गंडक नदी पर उच्चस्तरीय पूल पर पहूँच पथ निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का ग्रहण अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपयुर्क्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम– धनहा नं0 278 के भीतर कमोवेश 15 बीघा 10 कठ्ठा 01 धुर जो मानक माप से 05.125 एकड. के बराबर होता है एक भू–खण्ड अपेक्षित है, जिसका पूर्ण खेसरा नं0– 4950, 5040 तथा अंश खेसरा संख्या– 4946, 4945, 4949, 4951, 4967, 4968, 5818, 7391, 5639, 5638, 5637, 4975, 4995, 5018, 5017, 5019, 5020, 5014, 5021, 5031, 5041 एवं 5046 है, तथा इस भू–खण्ड की चौहदी निम्न प्रकार है:–

चौहदी

खण्ड– 'क'

उत्तर :–	पूर्ण खेसरा सं0– 4948, 4966, 4970, 4980, 4981 एवं अंश खेसरा सं0– 4946, 4951, 4968, 5818, 7391 तथा 4975 ।
दक्षिण :–	पूर्ण खेसरा सं0– 6107, 5821, 5817 एवं अंश खेसरा सं0–4945, 4949, 4967, 4968, 5818, 5639, 5638 तथा 5637 ।
पूरब :–	पूर्ण खेसरा सं0– 4980 अंश खेसरा सं0– 5639, 5638 एवं 5637 ।
पश्चिम :–	ग्रामीण रास्ता ।

खण्ड– 'ख'

उत्तर :– } पश्चिम :– }	अंश खेसरा सं0– 4995, 5018, 5019 ।
दक्षिण :–	पूर्ण खेसरा सं0– 4996, 4997 ।
पूरब :–	पूर्ण खेसरा सं0– 4997 एवं रिंग बॉध।

खण्ड– 'ग'

उत्तर :–	पूर्ण खेसरा सं0– 5039 ।
दक्षिण :–	पूर्ण खेसरा सं0– 4997 ।
पूरब :–	अंश खेसरा सं0– 5031, 5021, 5014, 5019, 5017 ।
पश्चिम :–	अंश खेसरा सं0– 5046, 5041, 5031 एवं रिंग बॉध।

यह अधिसूचना भू–अर्जन अधिनियम 1–1894 की धारा 4 एवं भू–अर्जन संशोधित अधिनियम 1984 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध है।

उक्त भूमि का नक्शा जिला भू–अर्ज़न पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया और उनके स्टाफ तथा इस परियोजना के आरंम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे विशेष कार्य प्रमण्डल, बेतिया के पदाधिकारियो एवं स्टाफ को प्राधिकृत करता हूँ कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें, तथा उक्त अधिनियम कि धारा 4 की उप धारा (2) में यथाउपबन्धित या यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि कृषि योग्य 05.125 एकड़ है, तथा उसका तुरंत अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन निदेशित दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 'अ' के उपबन्ध उक्त भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0

सरकार के उपसचिव

समाहर्त्ता
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

ज्ञापांक-2081/रा०/ भू0अ0, पटना, दिनांक 27/08/2013

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग बिहार, पटना को अधिसूचना प्रारूप की 03 प्रति सीडी के साथ दो दैनिक समाचार पत्र में जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशित करने एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बेतिया को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजपत्र, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को जिला राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित करने और इसकी पाँच अतिरिक्त प्रतियां इस विभाग को यथाशीघ्र भेजने के लिए भेजी जाती है।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

27/8/13

सरकार के अवर सचिव